

103-14
103-17
प्रारूप - "ख"
(देखिए नियम 8 (2) और (3))

कार्यालय विहित प्राधिकारी उप खण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर सीकर (राजस्थान)

क्रमांक : /राजस्व/07/ 415-21

दिनांक : 15-2-07

संपरिवर्तन आदेश

श्री शिशुपाल सिंह पुत्र श्री केशरदेव भास्कर जाति जाट निवासी ग्राम कल्याणपुरा (थोई) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिवृत्ति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये) संपरिवर्तन के लिये नियम 1992 नियम 8 (2) (3) के अधिन प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं : -

- (1) आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता नाम :
आवेदक का नाम : श्री शिशुपाल सिंह
पति का नाम : श्री केशरदेव भास्कर
जाति : जाट निवासी : ग्राम कल्याणपुरा (थोई) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
- (2) क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है। : नहीं
- (3) संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा : -
 - (क) ग्राम सुराणी ग्राम पंचायत कल्याणपुरा (थोई) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)
 - (ख) भूमि खसरा नं.-15/2 रकबा -0.25 हैक्टेयर (क्षेत्रफल)
 - (ग) प्रत्येक खसरा संख्या ओर क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हेक्टेर या वर्ग मीटर में) -15/2 रकबा 0.25 है0 में से 2500 वर्गमीटरविशेषणी : अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।
- (4) संपरिवर्तन का प्रयोजन : वाणिज्यिक प्रयोजन में संपरिवर्तन
- (5) संदेय प्रीमियम की दर : प्रथम 200 वर्गमीटर तक 4/-रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से व शेष 2300 वर्गमीटर का 16/-रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से

पृष्ठ.....2

105-106

- (6) चालान की सं. : 834 दि. : 18.01.2007 प्रिमियम राशि : 28200/-रूपये नैय चैनल्टी
835 दि. : 18.01.2007 प्रिमियम राशि : 18,800/-रूपये
- (7) चालान की राशि 834 दिनांक 18.01.2007 (शास्ति यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम) 9400/-रूपये
- (8) चालान सँख्या Nil दिनांक Nil (ब्याज यदि कोई हो की करायी गई रकम)
- (9) क्या ओदश नियमितकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया है - नहीं
- (10) अन्य विशिष्टियाँ यदि कोई हो -
- (11) उपयुक्त संपरिवर्तित आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा।
- (क) उपयुक्त अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्ण अनुज्ञा प्राप्त किये बिना अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- (ख) यदि आवेदक इस आदेश जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालाविधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत करली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रिमियम धन समाहृत हो जायेगा।
- (ग) नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग कृषि प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
- (घ) लोकोपयोगी के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी आकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।



विहित प्राधिकारी की मुहर

क्रमांक : राजस्व/07/ 415-21
प्रतिलिपि -

विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर
उप खण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
दिनांक ...15-2-07...

1. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, सीकर
2. आवेदक श्री शिशुपाल सिंह पुत्र केशरदेव भाखर जाति जाट निवासी ग्राम कल्याणपुरा (थोई) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज०)
3. ग्राम पंचायत कल्याणपुरा (थोई)
4. पटवारी हल्का थोई तहसील श्रीमाधोपुर (सीकर) राज. को भेजकर आदेश है कि राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।
5. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील श्रीमाधोपुर
6. रक्षित पत्रावली।

विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर
उप खण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
(सीकर)

